## Central Goods & Services Tax Rules, 2017

## <sup>1</sup>[Rule 96C: Bank Account for credit of refund

For the purposes of sub-rule (3) of rule 91, sub-rule (4) of rule 92 and rule 94, "bank account" shall mean such bank account of the applicant which is in the name of applicant and obtained on his Permanent Account Number:

**Provided** that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.]

Rule 96C inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021. Effective date of amendment yet to be notified.

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## 1[नियम 96ग : प्रतिदाय जमा हेतु बैंक खाता

नियम 91 के उपनियम (3), नियम 92 के उपनियम (4) और नियम 94 के प्रयोजनों के लिए "बैंक खाते" से आवेदक का ऐसा बैंक खाता अभिप्रेत होगा जो आवेदक के नाम पर है तथा उसकी स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है:

**परन्तु** स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 35/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा नियम 96ग अंतःस्थापित। यह संशोधन प्रभावशील नहीं किया गया है।